दि0 29.01.2014 को मंथन सभागार, वन मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में डॉ०आर०बी०एस० रावत, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में आयोजित हुई उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की ग्यारहवीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति का विवरणः–

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष–कार्यकारी समिति के प्रतिनिधि श्री एस.सी. पंत, अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत।
2. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति के प्रतिनिधि श्री धनन्जय मोहन, मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव), उत्तराखण्ड।
3. श्रीमती वीना सेखरी, प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाऐं, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
4. श्री एस०टी०एस० लेप्चा, अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी एवं सदस्य–कार्यकारी समिति के प्रतिनिधि श्री वी0के0सिंह, सहायक वन संरक्षक, कार्यालय– नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड।
6. श्री एम०एस० बिष्ट, वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
7. श्री गम्भीर सिंह, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल– आमंत्री।
8. श्री एस०एस० रसाइली, वन संरक्षक, मुख्यालय, देहरादून – आमंत्री।
9. सुश्री ज्योत्सना सितलिंग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक का शुभारम्भ करते हुये उत्तराखण्ड कैम्पा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये कार्यकारी समिति (Executive Committee) की ग्यारहवीं बैठक का एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 11.1
दि0 24.08.2013 को सम्पन्न हुई दसवीं कार्यकारी समिति की बैठक का कार्यवृत्त का अनुपालन

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गये कि कार्यकारी समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर सभी जोन एवं वृत्त स्तर से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो।

कार्यवाही–समस्त जोनल अधिकारी, क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी,उत्तराखण्ड।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 11.2:
कैम्पा निधि के अन्तर्गत APO 2013–14 के सापेक्ष प्रगति

उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के ए0पी0ओ0 वर्ष 2013–14 के क्रियान्वयन हेतु रू 6023.57 लाख अवमुक्त हो चुका है, परन्तु दिनांक 21 जनवरी, 2014 तक मात्र 43.17 प्रतिशत ही व्यय हुआ है। यह अत्यन्त असंतोषजनक स्थिति है। वृत्तवार कैम्पा निधि के अन्तर्गत वित्तीय प्रगति की स्थिति निम्नवत है–

Cirlce	Release	As on 21 Dec. 2013		As on 21 January2014	
		Expenditure	Utilisation%	Expenditure	Utilisation%
Bhagirathi	654.80	161.38	24.65	276.03	42.15
Yamuna	371.61	164.31	44.22	221.88	59.71
Shivalik	882.42	448.62	50.84	473.79	53.69
Garhwal	1188.95	194.44	16.35	317.30	26.69
North K.	635.82	302.05	47.51	360.79	56.74
South K.	219.12	98.69	45.04	113.79	51.93
Western	298.75	80.21	26.85	134.50	45.02
NDBR	325.57	15.45	5.49	26.59	8.17
Corbett	202.00	88.19	43.66	90.12	44.61
Rajaji	331.79	185.49	55.91	212.49	64.04
Wildlife(other)	336.58	95.78	28.46	248.08	73.70

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि कैम्पा निधि के व्यय में प्रगति लाने हेतु सभी जोनल अधिकारियों एवं क्षेत्रीय वन संरक्षकों को प्रमुख वन संरक्षक,उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2014 तथा पुनः दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 से आवश्यक निर्देश दिये गये हैं, परन्तु वित्तीय प्रगति में आशातीत सुधार नहीं हुआ है। उक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क को छोड़कर अन्य सभी वृत्तों में कैम्पा निधि के व्यय की प्रगति 60 प्रतिशत से कम है। विशेषरूप से गढ़वाल वृत्त एवं नन्दादेवी वायोस्फियर रिजर्व की वित्तीय प्रगति क्रमशः 26.69 प्रतिशत एवं 8.17 प्रतिशत है, जो कि अत्यन्त निराशाजनक है।

मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल द्वारा अवगत गराया गया कि गढ़वाल वृत्त में तथा नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व में बाढ़ के कारण connectivity न होने से कार्यों के लक्ष्य पूर्ण करने में कठिनाईयां आ रही हैं। प्रमुख वन संरक्षक एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा निर्देश दिए गये किऐसी स्थिति के कारण से यदि कार्य करने में कठिनाई आ रही हो तो पूर्ण औचित्य के साथ 2013–14 के भौतिक लक्ष्यों का तत्काल पुनरीक्षण कर धनराशि surrender कर दी जाय।

कार्यवाही–मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल तथा प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव एवं वन संरक्षक–गढ़वाल वृत्त व निदेशक–नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क

उक्त के कम में समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि जब तक कियान्वयन अभिकरण वर्तमान तक घटकवार अवमुक्त धनराशि का 50 प्रतिशत से अधिक उपयोग नहीं कर लेते तब तक बचनबद्ध कार्यो के सिवाय किसी नये कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त न की जाय तथा वर्ष की समाप्ति पर जिन कियान्वयन अभिकरणों की वित्तीय प्रगति असंतोषजनक रहती है, उनकी वार्षिक प्रविष्टि में तद्नुसार तथ्यात्मक प्रविष्टि की जाय।

कार्यवाही–सम्बन्धित जोनल चीफ, सम्बन्धित वन संरक्षक/निदेशक राष्ट्रीय पार्क

कार्यसूची कार्यकारी समिति 11.3:

कैम्पा निधि के अंतर्गत प्रस्तावित APO 2014–15 का अनुमोदनः

समिति द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के प्रस्तावित ए0पी0ओ0 वर्ष 2014–15 का निम्नवत घटकवार **रू 11454.00** लाख की धनराशि के वित्तीय लक्ष्य का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(धनराशि लाख रु. में)

1. NPV घटक	2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण	3. संरक्षित क्षेत्र	4. अन्य (Others)	5. CAT Plan	कुल योग
4856.00	1800.00	200.00	2598.00	2000.00	**11454.00**

उपरोक्तानुसार घटकवार प्रस्तावित धनराशि का उप–घटकवार व जोनवार विवरण निम्नानुसार है :–

घटक का नाम	गढ़वाल जोन	कुमांऊ जोन	वन्य जीव जोन	प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचा.	अन्य स्तर **	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1.NPV								
(i)वन/वन्य जीव रक्षक चौकी	1,50.00	1,20.00	90.00	–	–	–	–	3,60.00
(ii)रेंजों हेतु वाहन (कुल 60 वाहन	–	–	–	–	–	3,60.00	–	3,60.00

घटक का नाम	गढ़वाल जोन	कुमांऊ जोन	वन्य जीव जोन	प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचा.	अन्य स्तर **	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(iii) राजाजी पार्क हेतु	–	–	4,42.00	–	–	–	–	4,42.00
(iv) मूल्यांकन व अनुश्रवण	–	–	–	–	–	–	2,20.00	2,20.00
(v) कन्टीजेन्सी	–	–	–	–	–	2,32.54	–	2,32.54
vi) ऑपरेशनल व्यय	26.00	20.00	12.00	–	10.00	2,35.00	–	3,03.00
(vii) वन पंचायतों का सुदृढ़ीकरण	3,90.00	3,60.00		50.00	–	–	–	8,00.00
(viii) जोन स्तर से प्रभागों को नियोजन हेतु	7,00.00	7,00.00	2,00.00	–	–	–	–	16,00.00
(ix) अन्य स्तरों हेतु**	–	–	–	–	5,38.46	–	–	5,38.46
योग NPV	**1266.00**	**12,00.00**	**744.00**	50.00	5,48.46	**8,27.54**	2,20.00	48,56.00
2.क्षतिपूरक वनीकरण **(CA)**	12,29.75	4,68.00	50.00	–	–	26.25 (Contingency)	26.00	**18,00.00**
योग CA	**12,29.75**	**4,68.00**	50.00	–	–	**26.25**	26.00	18,00.00
3. संरक्षित क्षेत्र								
अस्कोट	–	–	1,00.00	–	–	–	–	1,00.00
गंगोत्री	–	–	1,00.00	–	–	–	–	1,00.00
योग	–	–	2,00.00	–	–	–	–	2,00.00
4. Others								
(i) वृक्षारोपण	8,54.42	2,21.10	–	–	–	21.50	21.50	**11,18.52**
(ii)रिवर ट्रेनिंग	1,25.00	12,97.94	–	–	–	28.54	28.00	14,79.48
योग Others	**9,79.42**	**15,19.04**	–	–	–	**50.04**	**49.50**	**25,98.00**
5. CAT Plan								
5.1 तपो॰–विष्णु॰ + PMU	819.25	–	93.77	–	–	18.20	18.20	949.42
5.2 लाता–तपोवन		–	252.46	–	–	5.09	5.09	262.64
5.3 सिंगोली–भटवाड़ी	182.36	–		–	–	3.64	3.64	189.64
5.4 फाटा–ब्यूंग	53.88	–	142.70	–	–	4.07	4.07	204.72
5.5 श्रीनगर HEP	378.60	–		–	–	7.39	7.59	393.58
योग CAT Plan	**1434.09**	–	**488.93**	–	–	**38.39**	**38.59**	2000.00
कुल योग	**4909.26**	**3187.04**	**1482.93**	**50.00**	**548.46**	**942.22**	**334.09**	**11454.00**

उपरोक्त तालिका के स्तम्भ–6 पर उल्लिखित अन्य स्तरों ** हेतु NPV घटक के अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना 2014–15 हेतु प्रस्तावित धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :–

NPV की तालिका 1.a में प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं कार्यालय में PMU हेतु	14.46 लाख
NPV की तालिका 1.a में नोडल अधिकारी कार्यालय में Support to PMU हेतु	6.00 लाख
NPV की तालिका 1.a व 1.e में नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन कार्यालय हेतु	6.00 लाख
NPV की तालिका 1.e में बांस एवं रेशा विकास परिषद हेतु	58.00 लाख
NPV की तालिका 1.e में मुख्य वन संरक्षक, प्रचार–प्रसार हेतु	35.00 लाख
NPV की तालिका 1.b में जैव विविधता बोर्ड	32.00 लाख
NPV की तालिका 1.e व 1.a में क्रमशः Revision of Working Plans व अन्य कार्यों के लिए अपर प्रमुख वन संरक्षक, कार्ययोजना हेतु	20.00 लाख
NPV की तालिका 1.e में मुख्य वन संरक्षक, NTFP के स्तर पर बैनावोलेन्ट फण्ड हेतु	112.00 लाख
NPV की तालिका 1.e में Automation of Department and strengthening of IT cell के लिए मुख्य वन संरक्षक, आई॰टी॰ हेतु	50.00 लाख

NPV की तालिका 1.a में प्रशिक्षण व अन्य कार्यों के लिए मानव संसाधन विकास कार्यालय हेतु	25.00 लाख
NPV की तालिका 1.a में प्रशिक्षण व अन्य कार्यों के लिए वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हेतु	50.00 लाख
NPV की तालिका 1.e में वन अनुसन्धान (सिल्वा साल एवं हिल) हेतु	120.00 लाख
NPV घटक में Operational Expenses मद में वन संरक्षक व मुख्य वन संरक्षक स्तर हेतु	10.00 लाख
योग –	**538.46 लाख**

उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति द्वारा कैम्पा के वर्ष 2014–15 की रु. 114,54.00 लाख की उपरोक्तानुसार प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान किया गया एवं सभी जोनल अधिकारियों के स्तर से उनके ए0पी0ओ0 साईज के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावित ए0पी0ओ0 वर्ष 2014–15 को संकलित कर आगामी संचालन समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के लिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 11.4:

वर्ष 2013–14 के कार्यों की आन्तरिक लेखा परीक्षा एवं वार्षिक लेखा परीक्षा

समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में कियान्वयन अभिकरणों द्वारा सम्पन्न कराये गये कार्यो के आन्तरिक एवं वार्षिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पर सभी कियान्वयन अभिकरण अनुपालन सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की सूचना उत्तराखण्ड कैम्पा को उपलब्ध करा दें। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा सभी कियान्वयन अभिकरणों के आन्तरिक एवं वार्षिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट तथा रिपोर्ट पर प्राप्त आख्या की समीक्षा कर लें तथा वित्तीय अनुशासन के परिप्रेक्ष्य में ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करें।

समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि ए0पी0ओ0 वर्ष 2013–14 के सापेक्ष सम्पादित कार्यो के Internal/Annual Audit हेतु उत्तराखण्ड में स्थित CAG empeneled CA firms को राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से चयन की कार्यवाही की जाय।

वित्त नियंत्रक द्वारा यह सुझाव दिया गया कि कैम्पा निधि के अंतर्गत किए गए कार्यों के आडिट में पायी गयी अनिस्तारित आपत्तियों को विभागीय लेखा उपसमिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। इस पर समिति द्वारा निर्देश दिए गये कि वर्ष 2012–13 तक के कैम्पा निधि के ऑडिट में पाई गई अनिस्तारित आपत्तियों को विभागीय लेखा उपसमिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा।

वित नियंत्रक वन विभाग द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि क्रियान्वयन अभिकरण स्तर पर कैम्पा निधि के खाता को सम्बन्धित कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष एवं लेखा सम्बन्धी वरिष्ठ कार्मिक के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को लागू करने हेतु सर्व सम्मति हुई।

कार्यवाही–समस्त कार्यान्वयन अभिकरण

कार्यसूची कार्यकारी समिति 11.5:

Concurrent Monitoring & Evaluation कार्य

उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के ए0पी0ओ0 वर्ष 2012–13 के कार्यों के सापेक्ष कराये गये concurrent अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की रिपोर्टस् के विश्लेषण का कार्य कैम्पा कार्यालय पर शीघ्रता से पूर्ण कर लिया जाय तथा विश्लेषण उपरान्त concurrent अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के observations पर अनुपालन हेतु सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रेषित किया जाय। सलाहकारों की अनुश्रवण एवं मूल्यांकन रिपोर्टस् को उत्तराखण्ड कैम्पा की वैबसाईट पर अपलोड किया जाय।

ए0पी0ओ0 वर्ष 2013–14 के कार्यों की concurrent अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य हेतु राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से संस्थागत व व्यक्तिगत सलाहकारों का चयन की कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा।

<u>कार्यसूची कार्यकारी समिति 11.6:</u>

<u>गुम्फूधार में High Altitude Patrolling Shelter का निर्माण</u>

नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत भारत चीन सीमा से लगभग 30 किमी0 से कम के दूरी पर स्थित गुम्फूधार नामक स्थान पर सामरिक महत्ता एवं वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए High Altitude Patrolling Shelter हेतु रू० 20.00 लाख का प्राविधान संशोधित APO 2013–14 की कार्यमद 1.a.6.5 High Altitude Patrolling Shelter के अन्तर्गत कार्य किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गयी।

कार्यवाही--निदेशक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व

<u>कार्यसूची कार्यकारी समिति 11.7:</u>

<u>वार्षिक कार्ययोजना 2013–14 में वाहन क्रय हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति</u>

उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना 2013--14 में निम्नानुसार उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति द्वारा वाहन क्रय हेतु प्राविधान स्वीकृत किया गया है :–

1. कैम्पा निधि के Capital फण्ड के अंतर्गत वन रेंजों हेतु 60 फील्ड वाहन (30 जीप एवं 30 कैम्पर) धनराशि रू० 366.00 लाख।
2. उत्तराखंण्ड कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज राशि के अंश से मुख्य वन संरक्षक एवं विभागीय सचिव सहित उच्च स्तर के अधिकारियों हेतु 25 फील्ड वाहन (यथा स्कॉर्पियों अथवा समतुल्य) धनराशि रू० 225.00 लाख।
3. उत्तराखण्ड कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज राशि के अंश से उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय हेतु 01 फील्ड वाहन (जीप अथवा समतुल्य) धनराशि रू० 6.10 लाख।

कैम्पा निधि के अन्तर्गत संचालन समिति से स्वीकृत ए0पी0ओ0 वर्ष 2013--14 में उक्तानुसार वाहनों के क्रय का प्रावधान होने के क्रम में कार्यकारी समिति द्वारा उपरोक्त फील्ड वाहनों के क्रय की **वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी** तथा निर्देश दिये गये कि इन वाहनों के क्रय हेतु तत्काल कैम्पा निधि से धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग को अवमुक्त कर दी जाय ताकि वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा में फील्ड स्तर हेतु वाहन उपलब्ध हो सकें। फील्ड स्तर पर सुरक्षा कार्यो हेतु वाहनों की नितान्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये वाहनों के क्रय की कार्यवाही तत्काल किये जाने हेतु समिति द्वारा निर्देश दिये गये।

कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा तथा अपर प्रमुख वन संरक्षक–नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन व प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग।

<u>कार्यसूची कार्यकारी समिति 11.8:</u>

<u>गौला रिवर ट्रेनिंग कार्य</u>

कार्यकारी समिति की बैठक में गौला नदी के रिवर ट्रेनिंग कार्यो पर चर्चा हुइ। प्रमुख वन संरक्षक,उत्तराखण्ड/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष में गौला रिवर ट्रेनिंग कार्य न कराये जाने के कारण जहां एक ओर down stream side में बसे आबादी वाले क्षेत्र में क्षति होती है, वही दूसरी ओर नदी से हो रहे भू--क्षरण के कारण वनों पर कुप्रभाव पड़ रहा है। इससे स्थानीय जनता

तथा जन–प्रतिनिधियों में रोष है। अतः इस कार्य को सम्पादित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त कार्य को पश्चिमी वृत्त द्वारा ए0पी0ओ0 वर्ष 2014–15 में सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव के अनुसार ए0पी0ओ0 में शामिल किये जाने का समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्देश दिये गये कि गौला रिवर के कार्यो को निविदा प्रकिया के अन्तर्गत कराया जाय तथा गुणवत्तायुक्त कार्य कराने हेतु सम्बन्धित वन संरक्षक रिवर ड्रेनिंग कार्य की मौके की आवश्यकता के अनुरूप व्यय हेतु निर्णय लें।

कार्यवाही– वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त तथा प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 11.9:

Catchment Area Treatment Plan (CAT Plans) का क्रियान्वयन

कैट प्लान्स के कियान्वयन पर चर्चा में प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि कैट प्लान्स की डी0पी0आर0 का प्रेजेन्टेशन माह अक्टूबर,2013 में हुआ परन्तु डी0पी0आर0 की प्रतियां वर्तमान तक उनको उपलब्ध नहीं करायी गयी। डी0पी0आर0 निरूपण में हुये बिलम्ब के कारण वित्तीय वर्ष 13–14 में अल्प अवधि शेष रहने के मध्यनजर वर्ष 13–14 में कैट प्लान्स के अन्तर्गत कुल रू 633.57 लाख की सीमा तक धनराशि अवमुक्त करने की संस्तुति दी गयी है।

उपरोक्त के क्रम में संशोधित APO 2013–14 के अंतर्गत सिविल सोयम वन प्रभाग, पौड़ी के द्वारा वर्षाकाल 2013 में कैट प्लान के अंतर्गत किये जा चुके वृक्षारोपण कार्य का प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर चर्चा हुई तथा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल के स्तर से औचित्यपूर्ण पाये जाने पर मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल/नोडल अधिकारी, कैट प्लान्स की संस्तुति पर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें के अनुमोदन के उपरान्त उक्त कार्य के भुगतान हेतु धनराशि अवमुक्त की जाय।

कार्यवाही– प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक–परियोजनाएं, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल एवं सम्बन्धित वन संरक्षक तथा प्रभागीय वनाधिकारी

कार्यसूची कार्यकारी समिति 11.10 :

सिविल एवं सोयम भूमि में किए गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण को पंचायती वन घोषित किया जाना

समिति के संज्ञान में लाया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्याः 11/1058/एन0पी0वी0/एफ0सी0/1718, दिनांक 22.02.2005 के द्वारा यह आदेश निर्गत किये गये हैं कि वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यांवर्तन के मामलों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण सिविल एवं सोयम भूमि पर किया जायेगा व चिन्हित सिविल एवं सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित करते हुये भारतीय वन अधिनियम,1927 के तहत छः माह के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाने का प्रावधान है परन्तु वर्तमान तक सिविल एवं सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण की प्रगति में काफी समय लग रहा है। अतः सिविल एवं सोयम वनों में क्षतिपूरक वनीकरण के पश्चात इसे वन पंचायत में सम्मिलित किया जाने से प्रकिया में सरलीकरण हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि सिविल एवं सोयम क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण के पश्चात इस क्षेत्र को वन पंचायत में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश के तहत तहत कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक व कार्यान्वयन अभिकरण

कार्यसूची कार्यकारी समिति 11.11:

गढ़वाल जोन में कैट–प्लान योजनाओं के अंतर्गत अनुबन्ध पर रखे जाने वाले परामर्शियों/विशेषज्ञों हेतु निर्धारित पारिश्रमिक दरों का अनुमोदन :–

गढ़वाल जोन के कैट प्लान के अन्तर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं में संविदा पर रखे जाने वाले विभिन्न परामर्शियों/विशेषज्ञों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक दरों हेतु मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल के पत्रांक

क–727/3–19, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के प्रस्तावित दरों का कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाही– मुख्य वन संरक्षक, गढवाल

कार्यसूची कार्यकारी समिति 11.12:

WWF को मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल द्वारा किये गये भुगतान का अनुमोदन

मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल द्वारा प्रमुख वन संरक्षक,उत्तराखण्ड के अनुमोदन के उपरान्त विश्व प्रकृति निधि (WWF) से preparation of brief Documents on wetlands of Uttarakhand तैयार कराने पर किये गये भुगतान की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन समिति द्वारा प्रदान किया गया तथा निर्देश दिए गये कि उपरोक्त तैयार Research document की प्रति वन संरक्षक स्तर एवं उच्च स्तर में अधिकारियों के कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाय।

कार्यवाही– मुख्य वन संरक्षक, गढवाल

वित्त नियंत्रक, वन विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि उक्त प्रकार अधिप्राप्ति प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रकरण/पत्रावलियां वित नियंत्रक वन विभाग की सलाह से निस्तारित की जाय। इस पर प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड द्वारा ज्ञात कराया गया कि विभाग में अधिप्राप्ति प्रकिया को सक्षम अधिकारी द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में निहित अधिकार एवं शक्तियों के तहत सम्पन्न किया जाता है। भविष्य में भी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पालन करते हुए सम्बन्धित सक्षम स्तरों पर अधिप्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न की जाय।

कार्यवाही–समस्त कियान्वयन अभिकरण/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,उत्तराखण्ड कैम्पा

कार्यसूची कार्यकारी समिति 11.13:

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नाकित बिन्दुओं पर चर्चा हुईः–

1. रूद्रप्रयाग वन प्रभाग के द्वारा कैम्पा निधि के अर्न्तगत वर्ष 2013–14 के स्वीकृत APO रू0 821.45 लाख से अधिक मॉग पर चर्चा हुई जिसमें समिति द्वारा पाया गया कि इस प्रभाग के उक्त स्वीकृत APO रू0 821.45 के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि रू0 393.40 लाख के सापेक्ष वर्तमान तक उत्तराखण्ड कैम्पा के MIS में प्रभाग स्तर से की गयी प्रविष्टि के आधार पर उपयोग मात्र रू0 34.84 लाख (8.86%) किया गया है। जोकि बहुत खेदजनक स्थिति है। इस पर समिति द्वारा रूद्रप्रयाग वन प्रभाग हेतु स्वीकृत APO 821.45 लाख की सीमा तक वर्ष 2013–14 हेतु रखे जाने तथा अवमुक्त की गयी धनराशि को समयान्तर्गत व्यय किए जाने के निर्देश दिये गये।

   कार्यवाही–मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल, वन संरक्षक–गढ़वाल वृत्त व प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा

2. प्रमुख वन संरक्षक परियोजनाये के कार्यालय में NABCON "Green India Mission Uttarakhand" के appraisal report की तैयारी हेतु अतिरिक्त रू0 6.00 लाख की आवश्यकता को वर्ष 2013–14 के APO में Contingency मद से पूर्ण करने हेतु समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

   कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक–परियोजनाएं एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा

3. वन विभाग के स्तर पर कैम्पा निधि के अंतर्गत स्थल विशिष्ट के क्षतिपूरक वनीकरण के कार्यों में धीमी प्रगति के मद्देनजर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा ईको–टास्क फोर्स को कैम्पा के क्षतिपूरक वनीकरण कार्यों एवं अन्य यथावश्यक कार्यों को सौंपे जाने के बारे में प्रस्ताव रखा गया जो सर्वसम्मति से पारित हुआ।

कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा

4. कैम्पा निधि के अन्तर्गत आगामी वर्ष के APO 2013–14 की Contingency की मद से निम्नांकित कार्यो को शामिल करने हेतु समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

अ) प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग हेतु

–FRI द्वारा पंतनगर में आयोजित कार्यशाला हेतु रू0 1.00 लाख

–26 जनवरी 2014 की झांकी हेतु रू0 6.00 लाख

कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग

ब) चकराता वन प्रभाग को Bird watch कार्य में Publication हेतु रू0 2.00 लाख

कार्यवाही–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग

अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेते हुए धन्यवाद सहित बैठक की समाप्ति की घोषणा की गयी।

30.1.2014

(ज्योत्सना सितलिंग)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा

(डॉ० आर०बी०एस० रावत)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–
कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

उत्तराखण्ड कैम्पा

5 मन्दिर मार्ग, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून, दूरभाष / फैक्स : 0135–2761077 ई–मेलः ceoukcampa@gmail.com, Website : www.ukcampa.org

पत्रांक– 815 / 13–3(11) / 2013–14 दिनांक, देहरादून, 31 जनवरी, 2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

5. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

30/1

(ज्योत्सना सितलिंग)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
सदस्य–सचिव,उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः– 815 (1)/13–3(11)/2013–14 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

30/1

(ज्योत्सना सितलिंग)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
सदस्य–सचिव,उत्तराखण्ड कैम्पा।